समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला नजारत शाखा)

अल्प कालीन निविदा सं0–02 / 18–19

अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार पटना के पत्रांक 1168,दिनांक 30.07.2018 द्वारा मुंगेर जिला अन्तर्गत सभी प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर तथा सभी अनुमंडल एवं जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में निर्बाध विधुत आपूर्त्ति सुनिश्चित करने के उदेश्य से सक्षम क्षमता वाले बैट्री एवं इनवर्टर के क्रय हेतु 13,00,000 / –(तेरह लाख) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। इस जिला में 09 प्रखंड 03 अनुमंडल लोक शिकायत कार्यालय, एवं 01 जिला लोक शिकायत कार्यालय है। इस तरह कुल–13 (तेरह) कार्यालयों के लिये प्रति कार्यालय Exide 180Ah/12V–04 बैट्री एवं माईक्रोटेक का इनवर्टर 3.7KVA-1 के हिसाब से इंस्टोलेशन सहित क्रय हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित किया जाता हैं।

तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबंद होगा जो एक बड़े सील लिफाफे में होगा। जिला नजारत शाखा, मुंगेर में निविदा प्राप्त की अंतिम तिथि 28.08.2018 के 03.00 बजे अपराह्न तक होगी। प्राप्त निविदा उसी दिन 03.15 बजे अपराह्न मे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायगी। इसमें निविदादाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

तकनीकी शर्त्ते :–

1. इच्छुक निविदादाता का वस्तु एवं सेवाकर (GST) अधिनियम अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य होगा।
2. अद्यतन GST रिटर्न की प्रति संलग्न की जाए।
3. निविदादाता को अधिकृत थोक विक्रेता या अधिकृत खुदरा विक्रेता होना अत्यावश्यक है।
4. निविदादाता द्वारा अर्नेष्ट मनी के तौर पर 10,000 / –(दस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो जिला पदाधिकारी, मुंगेर के नाम से विकलनीय होगा।
5. निविदादाता को पैन कार्ड की छायाप्रति एवं अद्यतन आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायगा।
6. निविदादाता द्वारा काली सूची में शामिल नहीं होने संबंधी शपथ पत्र संलग्न किया जाएगा।

निविदा का आवश्यक शर्त्ते :–

1. निविदा सामग्री यथा :– बैट्री, इनर्वटर एवं इंस्टोलेशन का अलग–अलग दर अंकित किया जाना आवश्यक होगा।
2. वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर एवं परिवहन व्यय शामिल करते हुए वस्तुओं का दर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

अन्य :–

1. चयनित आपूर्त्तिकर्त्ता को आपूर्त्ति आदेश के उपरान्त 30.08.2018 तक निश्चित रूप से संबंद्ध कार्यालय यथा सभी अंचल RTPS कार्यालयों, सभी अनुमंडल लोक शिकायत, एवं जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में आपूर्त्ति करते हुए अधिष्ठापन करना होगा।
2. सामग्री की आपूर्त्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगा।
3. चयनित आपूर्त्ति कर्त्ता को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आपूर्त्ति किया जायगा।
4. आपूर्त्ति सामग्री के अधिष्ठापन उपरान्त विपत्र का भुगतान नियमानुसार अनुमान्य कर की कटौती के पश्चात की जाएगी।
5. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाता को अर्नेष्ट मनी वापस कर दिया जायगा।
6. बिना कारण बताए निविदा रदद करने का अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा, विस्तृत जानकारी के लिए munger.bih.nic.in बेवसाईट पर देखा जा सकता हैं।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।